री उगाद लक्ष्मीचन्द्र बनाम उमेद सिंह
मि.नं.- 251 (A) RTA मु.नं.- 27/20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए

पत्रावली आज दिनांक 28.01.2022 को पेश हुई। प्रकरण मे तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है-

1. यह है कि आवेदित खसरा नं0 1141, 1130, 1130/2092, 1131, 1132, 1133, 1134 ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल महापुरा पर, पहुंच का मौका स्थिति के अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि ग्राम पीपल्या के खसरा नं0 1117 रकबा 0.96है0 किस्म चाही 3 की दक्षिणी-पूर्वी मेड पर 40X4 वर्ग मीटर अर्थात 160 वर्ग मीटर तथा खसरा नं0 1135 रकबा 1.14है0 किस्म चाही 3 की उत्तरी-पूर्वी मेड के सहारे 40X4 वर्ग मीटर अर्थात 160 वर्ग मीटर भूमी नियमानुसार रास्ते के उपयोग हेतु दिया जाना उचित होगा। यह रास्ता न्यूनतम दूरी का है।

यह है कि ग्राम पीपल्या की डीएलसी दर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। खसरा नं0 1117 के खातेदारान को एवं खसरा नं0 1135 के खातेदारान को 36.90रू प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल राशि का दौगुना भुगतान कर रास्ता दिया जाना उचित होगा। अतः **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अनुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट सादर प्रेषित है।**

हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। रास्ता या पहुंच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है, किसी भी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है। एवं **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क)** के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1141, 1130, 1130/2092, 1131, 1132, 1133 1134 ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल महापुरा, तहसील चौथ का बरवाडा पर आने-जाने हेतु इससे लगता हुआ खसरा नंबर 1117 रकबा 0.96है0 किस्म चाही 3 की दक्षिणी-पूर्वी मेड के सहारे 40X4=160 वर्ग मीटर तथा खसरा नं0 1135 रकबा 1.14है0 किस्म चाही 3 की उत्तरी-पूर्वी मेड के सहारे 40X4=160 वर्ग मीटर अर्थात कुल 320 वर्ग मीटर की डी.एल.सी दर 369000 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 11808 रूपये की दुगुनी राशि 23616 /-रूपये राशि अप्रार्थी खातेदारान संख्या 1 लगायत 2 को उनके हिस्से के अनुसार दिलवाई जाकर खसरा नंबर 1117 की दक्षिणी-पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चौड़ा तथा 40 मीटर लम्बा व 1135 की उत्तरी-पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)
FOR COPYING FEES ONLY
प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
चौड़ा तथा 40 मीटर लम्बा कुल 320 वर्गमीटर भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 28/01/22	(मुहर) कार्यालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (स.मा.) FOR COPYING FEES ONLY
1. न. रजिस्टर 1071 2. ता. प्रस्तुत [illegible] 2-2-2022 3. ता. हु. 2-2-2022 4. ता. तै[illegible] 2-2-2022 5. स्टा[illegible] [illegible] 6. तादाद [illegible] 7. नाम [illegible] 8. नाम पेश [illegible] [illegible] 9. ता. सुपु[illegible] 2-02-2022	प्रमाणित प्रतिलिपि (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (स.मा.)